498

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :– प.7(60)नविवि/03/09 जयपुर, दिनांक 29.04.2010

परिपत्र

प्रायः यह देखा जा रहा है कि राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यलय व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा बड़ी संख्या में लीज डीड जारी की गई है। जो कि सादा प्रिन्टेड प्रपत्रों में जारी होते है, जिन्हें लीज डीड धारक तत्काल पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं करते है और अपनी सुविधानुसार अत्यन्त विलम्ब से पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते है जिससे इन लीज डीड्स पर राज्य सरकार को देय मुद्रांक शुल्क भी अत्यन्त विलम्ब से मिलता है जो उचित नहीं है। वित्त विभाग के अ.शा. क्रमांक प. 2(3)वित्त/कर/10 दिनांक 02.03.10 द्वारा अनुरोध किया गया है कि समस्त नगरीय निकायों को वित्त विभाग के निर्देशों की पालना हेतु निर्देशित किया जावें ताकि पंजीयन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित हो सके व राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अतः इस संबध में निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचनाओं की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

1. सभी प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकायों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि/भवनों की लीज डीड पूर्ण मुद्रांकित करवाकर तथा पंजीयन करवाकर ही जारी की जावें।
2. स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय भूमियों को व्यासायिक/संस्थानिक/औद्योगिक आदि कार्यो के लिये भू–उपयोग परिवर्तन किया जात है, इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति का उस भूमि के संबंध में अधिकारों में वृद्धि/परिवर्त्रन होता है और इस प्रकार के आदेश स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के अनुसार Instruments की श्रेणी में आते है और इन पर मुद्रांक शुल्क देय है। अतः भू–उपयोग परिवर्तन के समस्त आदेशों को वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(15)वित्त/कर/2007–97 दिनांक 25.02.2008 (प्रति संलग्न) के अनुसार समस्त विकास प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय/राजस्थान आवासन मण्डल पूर्ण मुद्रांकित कर पंजीयन के पश्चात् ही जारी करें।

ह0
(गुरदयाल सिंह सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव